न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 664 / 2026
बाढ़ थाना कांड संख्या 901 / 2024

---

1. उमेश प्रसाद उर्फ उमेश कुमार सिंह, पिता–देवकरण सिंह, उम्र करीब 51 वर्ष,
2. पूजा कुमारी, पति उमेश प्रसाद उर्फ उमेश कुमार सिंह,
दोनों, साकिन–शेखोपुर वार्ड नं0 17, थाना बाढ़, जिला–पटना.....आवेदक अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार..... विपक्षी

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री मुरारी प्रसाद

बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 रहमान

आदेश

20.07.2026 आवेदक अभियुक्तगण 1. उमेश प्रसाद उर्फ उमेश कुमार सिंह एवं 2. पूजा कुमारी की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद बाढ़ थाना कांड संख्या 901 / 2024, अंतर्गत धारा 140(3), 96 भारतीय न्याय संहिता से सम्बंधित है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि पूर्व में आवेदक अभियुक्तगण की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया है। आवेदक अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है और इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन वाद पूर्णतः असत्य एवं बनावटी है और दुश्मनी के कारण इस वाद में फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्तगण पर आरोपित घटना से सम्बंधित विशिष्ट आरोप नही है। इस घटना का कोई प्रत्य क्षदर्शी साक्षी नहीं है। इस वाद के सह अभियुक्त मिंटु देवी एवं दिनेश कुमार को क्रमशः कि0मि0 नं0 40707 / 25 एवं 3978 / 26 से माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा समान आरोप हेतू जमानत का लाभ दिया गया है। आवेदिका पूजा कुमारी गृहिणी है। आवेदक अभियुक्तगण के फरार होने की कोई आशंका नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि इस वाद के सूचिका सीमा देवी है, इन्होंने अपना लिखित आवेदन थानाध्यक्ष बाढ़ को दी है, जिसमें सूचिका का कहना है कि सूचिका की पुत्री आदिती कुमारी उर्फ छोटी उम्र करीब 15 वर्ष रोज सुबह एस.एस. गर्ल्स हाई स्कूल जाती थी और पुनः 4:30 बजे स्कूल से घर वापस आ जाती थी। लेकिन दिनांक 22.11.2024 को सूचिका की पुत्री स्कूल से वापस नहीं आयी तो सूचिका स्कूल जाकर पता की। प्रधानाध्यापक के द्वारा बताया गया कि सभी बच्चे छुट्टी के बाद अपने घर चले गये हैं। सूचिका के द्वारा स्कूल के बाहर लोगों से पता किया गया तो पता चला कि दिनेश कुमार और उसकी पत्नी, उमेश प्रसाद और उसकी पत्नी बच्ची आदिती कुमारी को चारो लोग और दो अन्य मिलकर गाड़ी में जबरन बैठा कर ले गया है। सूचिका को शक है कि उसके पुत्री के साथ कोई अनहोनी न हो जाये।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 664 / 2026
बाढ़ थाना कांड संख्या 901 / 2024

लगातर
20.07.2026

उभयपक्षों को सुना। जमानत आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज तथा अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। अभियुक्तों पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका की 15 वर्षीय नबालिग पुत्री को जबरन गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर लेने का आरोप है। कांड दैनिकी के पारा–2 वादिनी अपने बयान में प्राथमिकी का समर्थन किया है तथा आवेदक अभियुक्तों के द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर उसकी पुत्री को अपहरण करने की बात कही है। पारा–6 एवं 7 में कमशः साक्षी मान्याराज एवं जितु कुमार ने भी अभियुक्तों द्वारा सूचक की पुत्र को अपहरण किये जाने की बात कही है। अपहृता की बरामदगी के पश्चात् उसका 183 बी.एन.एस. के तहत बयान दर्ज कराया गया है, जो कांड दैनिकी के पारा 19 में वर्णित है। अपने बयान में उसने बताया है कि उसके स्कुल जाने के समय सह अभियुक्त उसके साथ ऑटो में बैठ गये और उसे साथ लेकर पटना चल गये और पटना में आवेदक अभियुक्त उमेश प्रसाद मिले तथा उसके द्वारा अपहृता को पटना से लेकर बनारस गये और बनारस से बिन्धयाचल ले गये। वह जाने से विरोध करती रही, लेकिन अभियुक्तों ने उसका नही सुना। दो दिन तक बिन्धयाचल में रखे और वहॉ से आवेदक अभियुक्त उमेश प्रसाद द्वारा लाकर पटना में छोड़कर भाग जाने की बात कही गई है। अपहृता की उम्र न्यायालय द्वारा 15 वर्ष आका गया है। पारा–23 में पर्यवेक्षण टिप्पणी में आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 140(3), 96, 148, 98, 3(5) बी.एन.एस. के तहत मामला सत्य पाया गया है। इस वाद में अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण करते हुए आरोप पत्र संख्या 1101 / 25, दिनांक 18.12.25 को समर्पित किया गया है तथा आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा गया। आवेदक अभियुक्त संख्या–1 उमेश प्रसाद उर्फ उमेश कुमार के विरुद्ध आरोप का प्रश्न है तो सूचिका के नबालिग पुत्री का अपहरण कर नबालिग के विरोध करने के पश्चात् भी जबरन उसे ले जाने तथा दो दिनों तक अपहरण कर रखने का गंभीर आरोप है। इस वाद में पूर्व में इस न्यायालय द्वारा सह अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन भी खारिज किया गया है।

उक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक अभियुक्त सं0–1. उमेश प्रसाद उर्फ उमेश कुमार सिंह को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। आवेदक अभियुक्त उमेश प्रसाद उर्फ उमेश कुमार सिंह का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

जहां तक आवेदक अभियुक्त सं0–2 पूजा कुमारी के विरुद्ध आरोप का प्रश्न है तो पूरक कांड दैनिकी के पारा–2 एवं अनुसंधानकर्ता द्वारा समर्पित आरोप पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक संख्या–2 पूजा कुमारी को इस वाद में अनुत्प्रेषित दिखाया गया है, ऐसे में उसकी गिरफ्तारी की कोई संभावना नही है। उसका अग्रिम जमानत अपोषणीय होने के कारण खारिज किया जाता है।

(लेखापित / शुद्धित)

(राजकुमार चौधरी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ़